Drishti IAS

करेंट अफेयर्स हरियाणा

जून (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

हरियाणा

- मोरनी के जंगल में भीषण आग 3
- सरकारी नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक मानदंड असंवैधानिक 4
- वायु प्रदूषण से निपटान हेतु 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना 4
- हरियाणा में GST भवन 6
- हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शपथ ली 7
- हरियाणा को सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश 7
- हरियाणा सरकार ने योजना पर आयु प्रतिबंध हटाया 8
- हरियाणा में जल्द ही शुरू होगी नई भर्तियाँ 8
- पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग 9
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 9
- दिल्ली-हरियाणा जल संकट 10
- समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम 11
- OBC की आय सीमा में वृद्धि 12
- गोहाना: हरियाणा का 23वाँ ज़िला 12
- मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना 13
- राज्य के निवासियों को अतिरिक्त अंक देने का आदेश बरकरार 14
- स्वतंत्रता सेनानियों, आपातकालीन पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिये पेंशन में वृद्धि 15
- नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम 16
- हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्लॉट आवंटन पत्र वितरित किये 19

नोट :

हरियाणा

मोरनी के जंगल में भीषण आग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के **हिल स्टेशन मोरनी हिल्स** में **46°C से अधिक तापमान** के कारण जंगल में भीषण आग लग गई।

मुख्य बिंदु:

- अत्यधिक गर्मी और शुष्क परिस्थितियों के कारण आग पहाड़ियों के एक बड़े क्षेत्र में तेज़ी से फैल गई तथा झाड़ियों एवं पेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया। **शिवालिक पर्वतमाला** के निचले हिस्से में स्थित **मोरनी हिल्स,** समुद्र तल से लगभग 3,600 फीट की ऊँचाई पर स्थित विविध प्रकार के पौधों और जानवरों का निवास स्थल है।
  - हरियाणा के विभिन्न भागों में **विभिन्न पहाड़ियाँ और श्रेणियाँ** पाई जाती हैं।
  - शिवालिक पर्वतमाला हरियाणा के उत्तर में स्थित है तथा अरावली पर्वतमाला दक्षिण-पश्चिम से हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई है।
  - हरियाणा का **एकमात्र हिल स्टेशन, मोरनी हिल्स पंचकूला ज़िले में स्थित** है, जबकि **महेंद्रगढ़ ज़िले में स्थित ढोसी हिल्स विलुप्त ज्वालामुखी** के लिये जाना जाता है।

अरावली पर्वत श्रृंखला

- अरावली **विश्व के सबसे प्राचीनतम वलित अवशिष्ट पर्वतों में से एक है,** जो मुख्य रूप से **वलित चट्टानों** से बना है। यह गठन **प्रोटेरोज़ोइक युग (2500-541 मिलियन वर्ष पूर्व)** के दौरान टेक्टोनिक प्लेटों के अभिसरण के परिणामस्वरूप हुआ।
- भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) की रिपोर्ट में अरावली रेंज की पहाड़ियों को और **उनके निचले भागों के नज़दीक एक समान 100 मीटर चौड़ा बफर ज़ोन** शामिल करने के रूप में **परिभाषित किया गया** है।
- **इसकी ऊँचाई 300 से 900 मीटर** है। राजस्थान में **सांभर सिरोही रेंज** और **सांभर खेतड़ी रेंज** दो प्राथमिक श्रेणियाँ हैं जो पर्वतों का निर्माण करती हैं।
- **माउंट आबू पर गुरु शिखर,** अरावली रेंज (1,722 मीटर) की **सबसे ऊँची चोटी** है।

नोट :

- इसके आस-पास के प्रमुख **जनजातीय समुदायों** में **भील, भील-मीणा, मीना, गरासिया** और अन्य शामिल हैं।
- **सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2009 में** हरियाणा के फरीदाबाद, गुणगाँव (अब गुरुग्राम) और नूँह ज़िलों की अरावली रेंज में **खनन पर पूर्ण प्रतिबंध** लगाने का आदेश दिया।

सरकारी नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक मानदंड असंवैधानिक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की नौकरियों में **कुछ वर्गों के उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक देने के लिये हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित सामाजिक-आर्थिक मानदंड को असंवैधानिक घोषित कर दिया** तथा इसे खारिज कर दिया।

- न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह मानदंड भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करता है।**

मुख्य बिंदु:

- हरियाणा सरकार ने कुछ श्रेणियों के उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक प्रदान करने के लिये **सामाजिक-आर्थिक मानदंड पेश किये थे,** इसमें वे उम्मीदवार शामिल हैं जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरियों में नहीं है, राज्य के मूल निवासी और जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से अधिक नहीं है।
- **याचिकाकर्त्ताओं ने तर्क दिया कि:**
  - मानदंड निवास और वंश के आधार पर भेदभाव करते हैं, जो संविधान के **अनुच्छेद 162 के तहत निषिद्ध चिह्न हैं।**
  - याचिकाकर्त्ता का तर्क है कि जब **आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS),** अनुसूचित जाति (SC) और पिछड़ा वर्ग (BC) के लिये आरक्षण पहले से ही प्रदान किया गया है, तो किसी विशेष वर्ग को अतिरिक्त अंक देने का कोई औचित्य नहीं है।

नोट:

- **अनुच्छेद 14:** किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्यक्षेत्र में विधि के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।
- **अनुच्छेद 15:** किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा।
- **अनुच्छेद 16:** किसी भी सार्वजनिक पद पर नियोजन या नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समानता प्रदान करता है।

वायु प्रदूषण से निपटान हेतु 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना

चर्चा में क्यों

हरियाणा के मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार **वायु प्रदूषण** से निपटने के लिये जल्द ही **विश्व बैंक** द्वारा वित्तपोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी

मुख्य बिंदु:

- परियोजना विभिन्न चरणों में क्रियान्वित की जाएगी। प्रारंभिक चरण **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR)** में आने वाले ज़िलों पर केंद्रित है, जिसे बाद में पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। हरियाणा के **वायु गुणवत्ता निगरानी अवसंरचना** में सुधार परियोजना का हिस्सा है, जिसमें अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना और मौजूदा प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण शामिल है।
  - परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिये एक समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना की जाएगी।
- इसमें **वायु गुणवत्ता प्रबंधन** में लगे हितधारकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं
- परियोजना का लक्ष्य **परिवहन, उद्योग, निर्माण, सड़क की धूल, बायोमास दहन** और **घरेलू प्रदूषण** है।

नोट :

- इसका उद्देश्य **स्वच्छ वाहनों** को बढ़ावा देना, **इलेक्ट्रिक वाहनों** को अपनाने को प्रोत्साहित करना तथा पुराने, प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है।

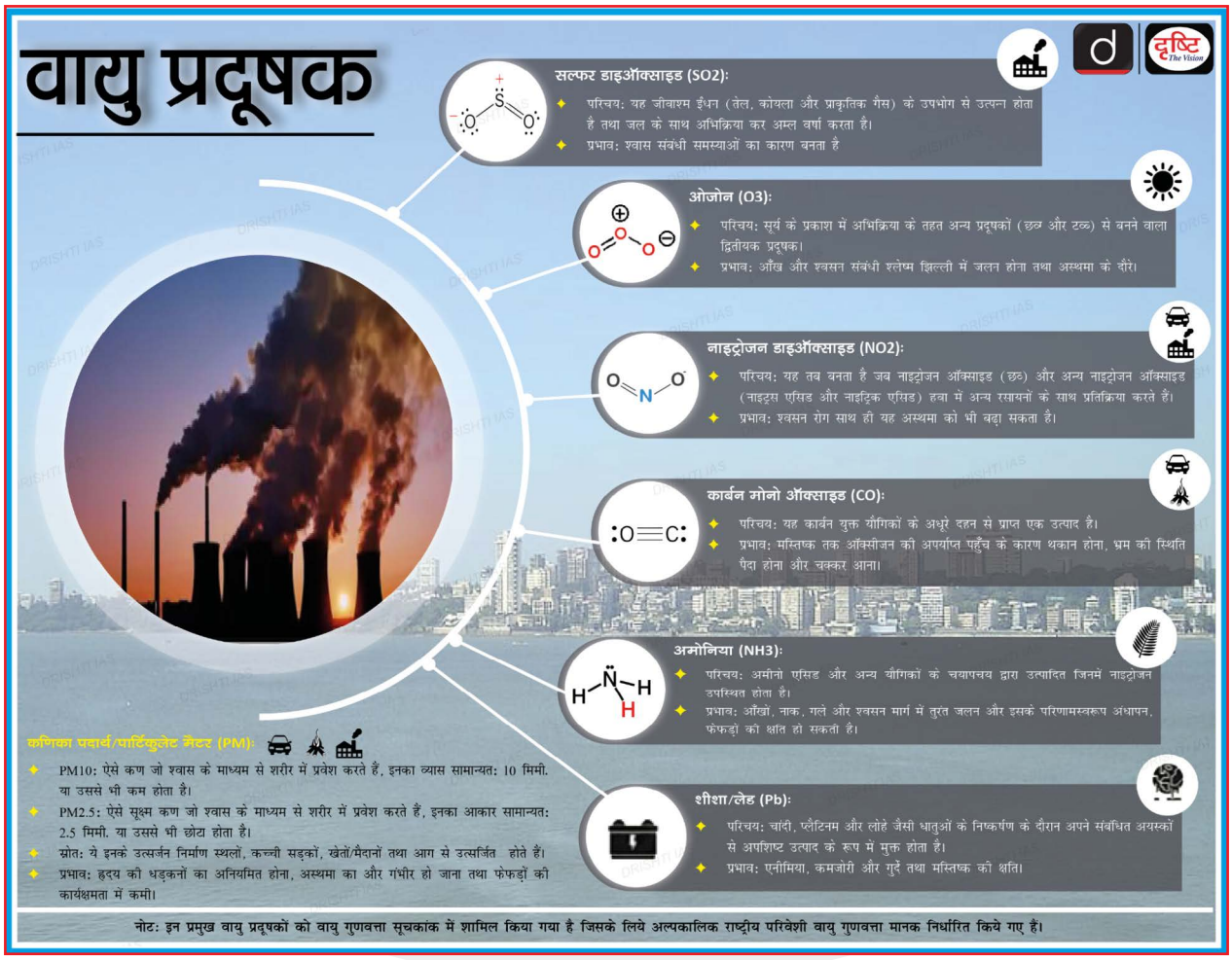

विश्व बैंक

- **परिचय:**
  - इसे **वर्ष 1944 में IMF के साथ मिलकर** पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) के रूप में स्थापित किया गया था। **बाद में IBRD विश्व बैंक बन गया।**
  - विश्व बैंक समूह पाँच संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिये कार्य कर रहा है।
  - विश्व बैंक **संयुक्त राष्ट्र** की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है।
- **सदस्य:**
  - **189 देश** इसके **सदस्य हैं।**
  - **भारत भी इसका सदस्य है।**

नोट :

हरियाणा में GST भवन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)** के अध्यक्ष ने हरियाणा के रोहतक में **केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST)** के आधिकारिक परिसर, **वस्तु एवं सेवा कर (GST) भवन** का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु:

- रोहतक के **सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक** पर स्थित यह परियोजना हरियाणा के **प्रमुख ज़िलों से कनेक्टिविटी के केंद्र में** है और GST करदाताओं की सुविधा के लिये आसान एवं त्वरित पहुँच है।
  - अमृत काल में परियोजना का उद्घाटन **नए भारत की क्षमता को दर्शाता है।**
- CBIC **वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक हिस्सा** है।
  - **GST** लागू होने के बाद वर्ष 2018 में **केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC)** का नाम बदलकर **CBIC** कर दिया गया।
  - यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और IGST के संग्रहण और वसूली से संबंधित नीति तैयार करने, तस्करी की रोकथाम तथा CBIC के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST), एकीकृत GST व नारकोटिक्स से संबंधित मामलों के प्रशासन के कार्यों से संबंधित है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST)

- **परिचय:** GST **एक मूल्य वर्द्धित कर प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।**
  - यह एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसे **1 जुलाई, 2017 को** 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से **'एक राष्ट्र एक कर'** के नारे के साथ भारत में लागू किया गया था।
- **GST परिषद:** GST परिषद एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में **GST के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिये ज़िम्मेदार** है।
  - संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A (1) के अनुसार, **GST परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा** किया गया था।
- **CGST:** GST के तहत, **CGST** एक कर है जो केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं दोनों की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है व केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है तथा इसके कोष में योगदान देता है।
- **IGST:** यह वस्तुओं और/या सेवाओं की सभी अंतर्राज्यीय आपूर्तियों पर या दो या अधिक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लगाया जाने वाला कर है।
- **SGST: SGST** के बराबर राशि एक कर है जो उस विशेष राज्य सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं दोनों की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है, जहाँ बेची गई वस्तु का उपभोग किया जाता है।

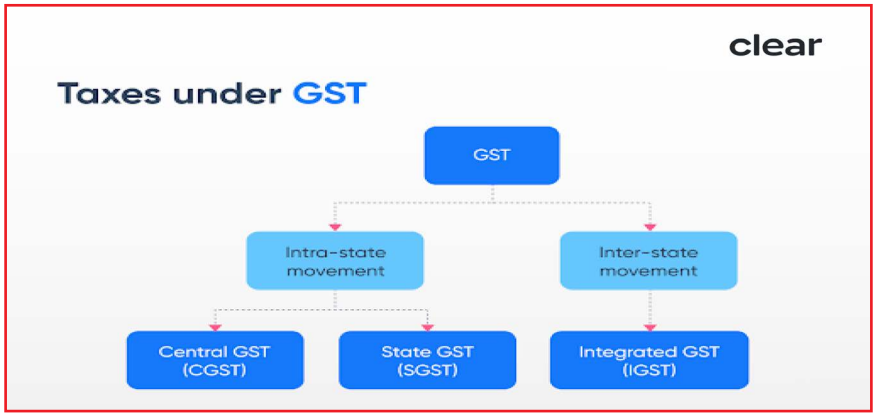

नोट :

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शपथ ली

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **हरियाणा के मुख्यमंत्री** नायब सिंह सैनी को **विधानसभा अध्यक्ष** ज्ञान चंद गुप्ता ने **विधायक पद की शपथ दिलाई।**

मुख्य बिंदु:

मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह लेने के बाद करनाल विधानसभा सीट के लिये **उपचुनाव** लड़ा था।

- राज्य की 10 लोकसभा सीटों और करनाल विधानसभा क्षेत्र के लिये **आम चुनाव** के छठे चरण में **25 मई 2024 को मतदान हुआ तथा परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किये गए थे।**

उपचुनाव

- **परिचय:**
  - उपचुनाव, जिसे **विशेष चुनाव के रूप में भी जाना जाता है, भारत के विधायी निकायों में रिक्त सीटों को भरने के लिये** आयोजित चुनावों को संदर्भित करता है।
  - यह **व्यापक चुनावी चक्र के भीतर एक महत्त्वपूर्ण घटक** के रूप में कार्य करता है और **अप्रत्याशित रिक्तियों को संबोधित** करके नियमित चुनावों को पूर्ण करता है।
- **उद्देश्य**
  - उपचुनावों का प्राथमिक उद्देश्य रिक्त सीटों की समय पर **फाइलिंग सुनिश्चित करना है, जिससे विधायी निकाय में प्रभावित निर्वाचन क्षेत्र या ज़िले का प्रतिनिधित्व हो सके।**
- **परिस्थिति:**
  - उपचुनाव तब आयोजित किये जाते हैं जब विधायिका में कोई **सीट निलंबन, इस्तीफे, अयोग्यता या मौजूदा सदस्य के निष्कासन जैसे कारणों से खाली हो जाती है।**
- **निर्धारित समय-सीमा**
  - **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** की धारा 151A निर्वाचनआयोग को **संसद और राज्य विधानमंडलों के सदनों में आकस्मिक रिक्तियों की तारीख से छह महीने के भीतर उपचुनावों के माध्यम से भरने हेतु अधिदेशित करती है,** बशर्ते कि कार्यकाल की शेष अवधि एक वर्ष या उससे अधिक हो।
    - इसलिये यदि **लोक सभा की शेष अवधि सीट खाली होने की** तारीख से एक वर्ष से कम है **तो उपचुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।**

हरियाणा को सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय** ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक (प्रवाह की एक इकाई जो 1 घन फुट प्रति सेकंड के बराबर है) अधिशेष जल छोड़ने की अनुमति दे दी तथा हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि **वह हथिनी कुंड बैराज से दिल्ली में इस जल का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करे, ताकि पेयजल संकट का समाधान हो सके।**

मुख्य बिंदु:

- न्यायालय ने **ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (UYRB)** को हरियाणा के **हथिनी कुंड** में हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़े गए जल को मापने के लिये कहा।

नोट :

- राष्ट्रीय राजधानी में **जल की कमी के बीच दिल्ली सरकार** ने पड़ोसी राज्य हरियाणा से **तत्काल अतिरिक्त जल प्राप्त करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।**
- अपनी याचिका में दिल्ली सरकार ने कहा कि वह दिल्ली के नागरिकों द्वारा झेली जा रही गंभीर जल कमी के कारण याचिका दायर करने के लिये बाध्य है, जो **उत्तर भारत, विशेषकर दिल्ली में जारी भीषण गर्मी के कारण उत्पन्न हुई है।**

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (UYRB)

- ऊपरी यमुना नदी बोर्ड जल संसाधन, **नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय,** भारत सरकार के अधीन **एक अधीनस्थ कार्यालय है।**
- **दिनांक 12 मई, 1994 को बेसिन राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्रियों** द्वारा ओखला बैराज तक यमुना नदी के उपयोज्य सतही प्रवाह के बँटवारे के **समझौता ज्ञापन (MoU)** पर हस्ताक्षर किये गए
  - MoU में ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (**UYRB**) नामक एक बोर्ड के निर्माण का प्रावधान है।

हरियाणा सरकार ने योजना पर आयु प्रतिबंध हटाया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने **कृषि कार्य के दौरान मृत्यु या अक्षमता की स्थिति** में किसानों और कृषि श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना पर आयु सीमा हटा दी।

मुख्य बिंदु:

- सरकार ने किसानों, कृषि श्रमिकों और मंडी यार्ड मज़दूरों के लिये '**मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मज़दूर जीवन सुरक्षा योजना**' के तहत आयु प्रतिबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
- इस योजना के तहत **किसानों, कृषि मज़दूरों और मंडी यार्ड मज़दूरों को 37,500 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
- पूर्व नियम के अनुसार, इस योजना में लाभार्थी की आयु 10 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
- अब, **10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे** और **65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति भी योजना के तहत लाभ के पात्र** होंगे।

हरियाणा में जल्द ही शुरू होगी नई भर्तियाँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि **सरकार जल्द ही** राज्य में 50,000 रिक्त पदों की पूर्ति के लिये **भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी।**

मुख्य बिंदु

- यह **रोज़गार के अवसर प्रदान करने** और **युवाओं की आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिये सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों** के हिस्से के रूप में किया जाएगा।
- उन्होंने सरकारी नौकरियों के लिये **"पारदर्शी" भर्ती प्रणाली** को जारी रखने पर ज़ोर दिया।
- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार **अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा** के लिये प्रतिबद्ध है और जल्द ही इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी तथा युवाओं को न्याय दिलाने के लिये इसकी पुरज़ोर वकालत करेगी।
- **31 मई, 2024** को, **हरियाणा** उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि राज्य सरकार की नौकरियों में **कुछ विशेष वर्ग के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक प्रदान करने के लिये** हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित **सामाजिक-आर्थिक मानदंड** असांविधानिक थे।

नोट :

पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **कैथल** में आयोजित **पेंशन बहाली संघर्ष समिति** की एक बैठक के दौरान **पुरानी पेंशन योजना (OPS)** की बहाली की मांग को लेकर **1 सितंबर 2024 को पंचकूला में एक व्यापक प्रदर्शन** करने का निर्णय लिया गया।

मुख्य बिंदु

- उक्त प्रदर्शन से पूर्व समिति ने **1 जुलाई 2024** से राज्य के प्रत्येक ज़िले में **"OPS संकल्प सम्मेलन और आक्रोश मार्च"** आयोजित करने का निर्णय लिया है।
- **पुरानी पेंशन योजना:**
  - यह योजना **सेवानिवृत्ति के पश्चात** व्यक्ति को **आजीवन आय की गारंटी** प्रदान करती है।
  - पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत, **कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित फार्मूले के अनुसार पेंशन मिलती थी** जो अंतिम आहरित वेतन का आधा (50%) होता है तथा उन्हें वर्ष में दो बार महँगाई राहत (Dearness Relief) में संशोधन का भी लाभ मिलता था। इसके अंतर्गत भुगतान निर्धारित था और वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती थी। इसके अतिरिक्त OPS के अंतर्गत **सामान्य भविष्य निधि** (General Provident Fund-GPF) **का** भी **प्रावधान** था।
    - GPF भारत में केवल सभी सरकारी कर्मचारियों के लिये उपलब्ध है। मूल रूप से यह सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत GPF में योगदान करने की अनुमति देता है। साथ ही कुल राशि जो रोज़गार की अवधि के दौरान जमा होती है, सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को भुगतान की जाती है।
  - **पेंशन पर होने वाले खर्च** का वहन सरकार द्वारा किया जाता था। यह योजना वर्ष 2004 में बंद कर दी गई थी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में हरियाणा के दो बार मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को **ऊर्जा मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA)** दिया गया।

- कैबिनेट बैठक के दौरान सरकार ने **प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)** के तहत 30 मिलियन आवास की घोषणा की।

मुख्य बिंदु:

- **वर्ष 2015 में** शुरू की गई PMAY पात्र **ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं** के साथ आवास बनाने के लिये सहायता प्रदान करती है।
  - सरकारी आँकड़ों के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में आवास योजनाओं के अंतर्गत पात्र गरीब परिवारों के लिये कुल 42.1 मिलियन आवास पूरे किये गए हैं।
- **विद्युत मंत्रालय** के सामने **विद्युत उत्पादन क्षमता को बनाए रखने की चुनौती भी है,** जो मुख्य रूप से **कोयले** पर निर्भर है तथा **जीवाश्म ईंधनों** के उपयोग को कम करने की वैश्विक मांग के साथ इसे संतुलित करने की चुनौती भी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)

- **लॉन्च: इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 तक 'सभी के लिये आवास' के उद्देश्य** को प्राप्त करने हेतु शुरू किया गया था। ज्ञात हो कि पूर्ववर्ती 'इंदिरा आवास योजना' (IAY) को **01 अप्रैल, 2016 से 'प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण' के रूप में पुनर्गठित** किया गया था।

नोट :

- **संबंधित मंत्रालय:** ग्रामीण विकास मंत्रालय।
- **उद्देश्य:** मार्च 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवार, जो बेघर हैं या कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे हैं, को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना।
  - **गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन व्यतीत कर रहे ग्रामीण परिवारों को आवासीय इकाइयों के निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों के उन्नयन में** पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना।

दिल्ली-हरियाणा जल संकट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दिल्ली के जल मंत्री ने **वज़ीराबाद बैराज** का दौरा किया और हरियाणा सरकार से **यमुना नदी** में **जल छोड़ने की अपील** की।

मुख्य बिंदु:

- वज़ीराबाद बैराज को हरियाणा से जल की आपूर्ति होती है जो चंद्रावल, ओखला और वज़ीराबाद के जल उपचार संयंत्रों में जाता है।
- हरियाणा और दिल्ली के बीच जल विवाद क्षेत्र में **संसाधन आवंटन तथा प्रबंधन की चुनौतियों** को उजागर किया जाता है।

यमुना नदी

- **परिचय**
  - यमुना नदी उत्तर भारत में गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है।
  - यह विश्व के व्यापक जलोढ़ मैदानों में से एक **यमुना-गंगा मैदान** का एक अभिन्न भाग है।
- **स्रोत**
  - **इसका स्रोत निचली हिमालय पर्वतमाला में बंदरपूँछ शिखर के दक्षिण-पश्चिमी किनारों पर 6,387 मीटर की ऊँचाई पर यमुनोत्री ग्लेशियर में स्थित है।**
- **बेसिन**
  - यह **उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा** और **दिल्ली** से प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के **प्रयागराज में संगम (जहाँ कुंभ मेला आयोजित होता है) स्थल पर गंगा** में मिल जाती है।

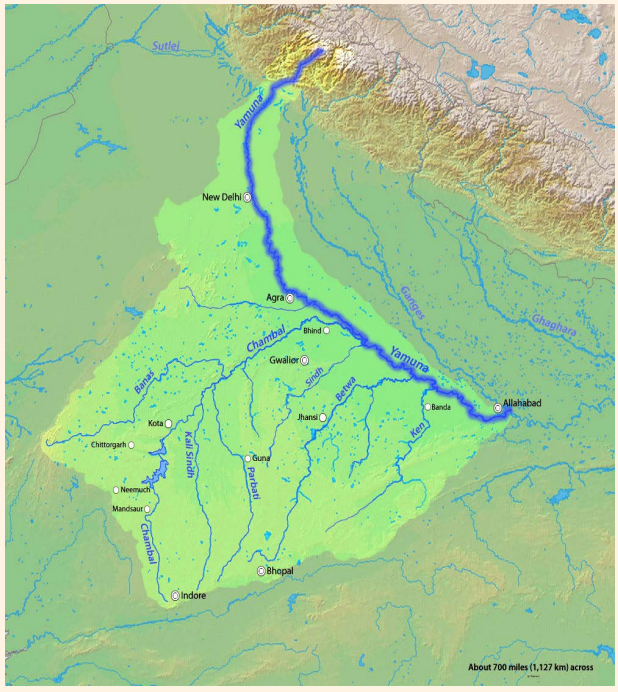

  - **महत्त्वपूर्ण बाँध:** लखवार-व्यासी बाँध (उत्तराखंड), ताज़ेवाला बैराज बाँध (हरियाणा) आदि।
- **महत्त्वपूर्ण सहायक नदियाँ:** चंबल, सिंध, बेतवा और केन।
- **यमुना नदी से संबंधित सरकारी पहल:**
  - यमुना एक्शन
  - फरवरी 2025 तक यमुना को साफ करने के लिये दिल्ली सरकार की छह सूत्री कार्य योजना।

नोट :

समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम

चर्चा में क्यों ?

समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम योजना 2024 के तहत जिला प्रशासन गुरुग्राम में **वृद्धाश्रम** स्थापित करने की तैयारी कर रहा है।

मुख्य बिंदु:

- यह पहल पहले **सरकारी संचालित वृद्धाश्रम** के उद्घाटन का प्रतीक है तथा **गैर-सरकारी संगठनों (NGO)**, ट्रस्टों, सोसायटियों और निगमों से उनके **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)** प्रयासों के तहत प्रस्तावों का स्वागत किया जा रहा है।
- इस पहल का **उद्देश्य उन बुज़ुर्गों को आरामदायक और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है** जिन्हें सहायता तथा देखभाल की आवश्यकता है।
- वृद्धाश्रम **अपने निवासियों की भलाई** सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न सुविधाएँ और सेवाएँ प्रदान करेगा, जैसे- पौष्टिक भोजन, चिकित्सा देखभाल, मनोरंजक गतिविधियाँ तथा सामाजिक संपर्क के अवसर।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये व्यक्ति के पास **परिवार पहचान-पत्र (PPP)** होना चाहिये।
- इस **योजना में लाभार्थियों को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है:** एक में **वे लोग शामिल हैं जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है,** जबकि दूसरे में वे व्यक्ति शामिल हैं जिनकी **वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक है,** लेकिन वे परित्यक्त या देखभाल के अभाव का सामना कर रहे हैं।
  - पहली श्रेणी के अंतर्गत आने वालों को नि:शुल्क आवास मिलेगा, जबकि 2 लाख रुपए से अधिक आय वालों को **'भुगतान करो और रहो'** कार्यक्रम (Pay and Stay Program) में नामांकित किया जाएगा, जिसका शुल्क स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

परिवार पहचान-पत्र (PPP)

- राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं, सेवाओं तथा लाभों के **'पेपरलेस' और 'फेसलेस' (Paperless and Faceless)** वितरण के लिये हरियाणा सरकार के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिये जुलाई 2019 में PPP योजना औपचारिक रूप से शुरू की गई थी।
  - इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को **एक इकाई** माना जाता है और उसे **8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या** दी जाती है, जिसे **परिवार आईडी** (Family ID) कहा जाता है।
  - परिवार पहचान-पत्र को **छात्रवृत्ति, सब्सिडी और पेंशन** जैसी स्वतंत्र योजनाओं से भी जोड़ा गया है, ताकि स्थिरता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।
  - यह विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी और पेंशन के लाभार्थियों का **स्वचालित चयन** भी सक्षम बनाता है।
- **परिवार पहचान-पत्र (PPP)** का प्राथमिक उद्देश्य हरियाणा के सभी परिवारों का **प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटा** तैयार करना है।

समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम योजना, 2024

- यह योजना **हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2024** में शुरू की गई है।
- इस योजना का **मुख्य उद्देश्य राज्य के निवासी वरिष्ठ नागरिकों** को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करके उनके **जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है:**
  - **वरिष्ठ नागरिकों के लिये सुरक्षित और आरामदायक** रहने की जगह उपलब्ध कराना तथा उनकी शारीरिक एवं भावनात्मक भलाई सुनिश्चित करना।

नोट :

- स्नान, सौंदर्य (ग्रूमिंग) और दवा प्रबंधन जैसी दैनिक गतिविधियों में सहायता करके **स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देना।**
- दीर्घकालिक बीमारियों या दिव्यांगताओं से ग्रस्त लोगों को **चिकित्सा देखभाल और नर्सिंग सहायता प्रदान करना।**
- सामाजिक अलगाव को रोकने और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये **मनोरंजक गतिविधियाँ, सामाजिक कार्यक्रम तथा संगति प्रदान करना।**
- **वरिष्ठ नागरिकों को नए कौशल सीखने में सहायता करना** और उनके कार्यक्षेत्र में सफलता की ओर उनका मार्गदर्शन करना, उनमें आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करना।

OBC की आय सीमा में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने **अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes- OBC)** के क्रीमी लेयर के लिये **वार्षिक आय सीमा** ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख करने की घोषणा की।

मुख्य बिंदु:

- इसका प्राथमिक लक्ष्य हरियाणा में OBC समुदाय के कल्याण की रक्षा करना तथा **सरकारी नौकरियों में युवाओं को पर्याप्त लाभ प्रदान करना है।**
- मुख्यमंत्री ने कहा कि **ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के पदों** पर **पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण कोटा**, जो वर्तमान में 15% है, को **केंद्र सरकार की नीति** के अनुरूप **बढ़ाकर 27%** किया जाएगा।

भारत में आरक्षण

- संविधान के **अनुच्छेद 340** द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने दिसंबर 1978 में **बी.पी.मंडल** की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की।
- आयोग का गठन **भारत के "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों"** को परिभाषित करने के मानदंड निर्धारित करने तथा उन वर्गों की उन्नति हेतु उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिये किया गया था।
- मंडल आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि भारत की जनसंख्या में लगभग 52 प्रतिशत OBC हैं, इसलिये **27 प्रतिशत सरकारी नौकरियाँ उनके लिये आरक्षित होनी चाहिये।**
- आयोग ने सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के **ग्यारह संकेतक** विकसित किये हैं।
- हिंदुओं में पिछड़े वर्गों की पहचान करने के अलावा, आयोग ने **गैर-हिंदुओं** (जैसे- मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध) **में** भी **पिछड़े वर्गों** की पहचान की है।
- इसने 3,743 जातियों की अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची तथा 2,108 जातियों की अधिक वंचित "दलित पिछड़ा वर्ग" सूची तैयार की है।

गोहाना: हरियाणा का 23वाँ ज़िला

चर्चा में क्यों ?

संत कबीर दास की 626वीं जयंती के अवसर पर गोहाना में एक सभा को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि **सोनीपत के गोहाना को हरियाणा का 23वाँ ज़िला घोषित किया जाएगा।**

नोट :

मुख्य बिंदु:

- राज्य में नए ज़िले बनाने के लिये एक समिति बनाई गई है और यह तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। जिसके बाद गोहाना को राज्य का नया ज़िला घोषित किया जाएगा।
- सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की:
  - **गोहाना में संत कबीर** के नाम पर **एक चौक का निर्माण।**
  - लाइब्रेरी और लंगर हॉल के निर्माण के लिये **गोहाना धानक शिक्षा सभा को 31 लाख रुपए का आवंटन।**
  - आवश्यक भूमि उपलब्ध होते ही **रोहतक-जींद रोड पर बाई-पास का निर्माण** तुरंत शुरू किया जाएगा।
  - सरकारी **नौकरियों में लंबित पदों को पूरा किया जाएगा।**
- मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (HAPPY) शुरू की गई है, जिसके तहत ₹1 लाख से कम आय वाले 23 लाख परिवारों के 84 लाख व्यक्तियों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में **सालाना 1000 किलोमीटर तक की निशुल्क यात्रा की सुविधा** दी जाती है।
  - चिरायु योजना के तहत, सरकार आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को सरकारी और निजी अस्पतालों में **प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का निशुल्क इलाज़ मुहैया** करा रही है
  - राज्य सरकार ने **महापुरुषों द्वारा दी गई शिक्षाओं को जन-जन तक पहुँचाने के लिये महापुरुष सम्मान प्रचार प्रसार योजना** भी शुरू की है

संत कबीर दास

- संत कबीर दास का जन्म **उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर** में हुआ था। वे **15वीं शताब्दी** के रहस्यवादी कवि, संत, समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के समर्थक थे।
- कबीर की विरासत आज भी **कबीर पंथ (** एक धार्मिक समुदाय जो कबीर को संस्थापक मानता है) के नाम से प्रसिद्ध संप्रदाय के माध्यम से चल रही है।
- उनका प्रारंभिक जीवन एक मुस्लिम परिवार में बीता, लेकिन वे अपने गुरु, हिंदू भक्ति नेता **रामानंद** से बहुत प्रभावित थे।
- कबीर दास की रचनाओं का भक्ति आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसमें **कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक तथा साखी ग्रंथ** जैसे शीर्षक शामिल हैं।
  - उनके पद सिख धर्म के धर्मग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में पाए जाते हैं
  - उनके काम का बड़ा हिस्सा पाँचवें सिख गुरु, **गुरु अर्जन देव** द्वारा संकलित किया गया था
  - वे अपने दो-पंक्ति वाले दोहों के लिये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, जिन्हें **'कबीर के दोहे'** के नाम से जाना जाता है।
- कबीर की रचनाएँ **हिंदी भाषा** में लिखी गई थीं, जिसे समझना आसान था। वे लोगों को ज्ञान देने के लिये दोहों में लिखते थे।

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि हरियाणा सरकार **मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना** के माध्यम से तीर्थयात्रियों को अयोध्या **और अन्य पवित्र स्थलों** की यात्रा करने की सुविधा प्रदान कर रही है।

मुख्य बिंदु:

- इस योजना के तहत **1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार के 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों को अयोध्या,** वाराणसी **और अन्य पवित्र स्थलों** की तीर्थयात्रा के लिये ले जाया जाता है।

नोट :

- मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार ने राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये कई कदम उठाए हैं।
  - **कुरुक्षेत्र धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है,** जो देश भर से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है
  - अन्य स्थानों पर भी **पर्यटन के अवसरों को तलाशने के प्रयास किये जा रहे हैं।**

वाराणसी

- वाराणसी **दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य** में है। यह **गंगा नदी के बाएँ किनारे पर स्थित है** और हिंदू धर्म के सात पवित्र शहरों में से एक है।
- यह विश्व के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक है। इसका प्रारंभिक इतिहास मध्य **गंगा घाटी में पहली आर्य बस्ती से जुड़ा है।**
  - वाराणसी **बुद्ध के समय (छठी शताब्दी ईसा पूर्व) काशी राज्य की राजधानी थी,** जिन्होंने अपना पहला उपदेश **सारनाथ** के पास दिया था
  - यह शहर **धार्मिक, शैक्षिक और कलात्मक गतिविधियों** का केंद्र बना रहा, जैसा कि प्रसिद्ध **चीन बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेन त्सांग** ने प्रमाणित किया है, जिन्होंने **लगभग 635 ई. में** यहाँ का दौरा किया था।
- वर्ष 1194 से शुरू हुए **मुस्लिम कब्ज़े के तीन शताब्दियों के दौरान वाराणसी का पतन हो गया**
- **18वीं शताब्दी में वाराणसी एक स्वतंत्र राज्य बन गया** और बाद में ब्रिटिश शासन के तहत यह एक वाणिज्यिक एवं धार्मिक केंद्र बना रहा।
  - **वर्ष 1910 में अंग्रेज़ों ने वाराणसी को एक नया भारतीय राज्य बनाया** जिसका मुख्यालय रामनगर (विपरीत तट पर) था, लेकिन वाराणसी शहर पर इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।
- वर्ष 1947 में **भारतीय स्वतंत्रता के बा**द वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा बन गया।

राज्य के निवासियों को अतिरिक्त अंक देने का आदेश बरकरार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय** ने **"सामाजिक-आर्थिक" कारकों के आधार पर विशिष्ट नौकरी की भर्तियों के लिये राज्य के निवासियों को 5% अतिरिक्त अंक देने के हरियाणा सरकार के निर्णय** को रद्द करने के **उच्च न्यायालय** के निर्णय को बरकरार रखा और इसे एक अनुचित कार्रवाई माना।

मुख्य बिंदु:

- **हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग** की याचिका को **पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय** के उस निर्णय को चुनौती देने के लिये खारिज कर दिया गया है, जिसमें **वर्ष 2023 के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET 2023)** के दौरान हरियाणा के निवासियों को अतिरिक्त अंक प्रदान करने वाली राज्य अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था। न्यायालय ने नई परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया।
- इस **"सामाजिक-आर्थिक" मानदंड** के तहत हरियाणा सरकार ने कुछ शर्तों को पूरा करने पर **हरियाणा के निवासियों को अतिरिक्त महत्त्व** प्रदान किया।
- इन शर्तों में **परिवार का कोई भी सदस्य स्थायी सरकारी कर्मचारी न होना तथा सभी स्रोतों से कुल वार्षिक पारिवारिक आय 1.8 लाख रुपए से कम होना शामिल है।**

नोट :

अधिवास आरक्षण

- एक ओर **संविधान की** धारा 16(2) में कहा गया है कि "राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में **केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा।**"
- दूसरी ओर, **इसी अनुच्छेद का खंड 4 कहता है कि "इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में** जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिये उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"
- लेकिन ये प्रावधान सरकारी नौकरियों के मामले में लागू हैं।
- अनुच्छेद 19(1)(g) सभी नागरिकों को **कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार** प्रदान करता है।
- इस प्रकार राज्य सरकारों द्वारा ऐसी सीमाएँ लगाना किसी व्यक्ति के अपनी पसंद की वृत्ति, व्यापार या कारोबार में शामिल होने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जैसा कि **अनुच्छेद 19(1)(g)** में कहा गया है।
- इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि ''हरियाणा राज्य से असंबद्ध नागरिकों के समूह को द्वितीयक दर्जा देने (secondary status) और आजीविका कमाने के उनके **मौलिक अधिकारों** में कटौती करके संवैधानिक नैतिकता **(constitutional morality)** की अवधारणा का खुले तौर पर उल्लंघन किया गया है
- **आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय** ने भी माना है कि वर्ष 2019 में पारित आंध्र प्रदेश का अधिवास के आधार पर आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक "असंवैधानिक हो सकता है", हालाँकि अभी मेरिट या योग्यता के आधार पर इस पर सुनवाई किया जाना शेष है।

स्वतंत्रता सेनानियों, आपातकालीन पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिये पेंशन में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने **स्वतंत्रता सेनानियों, उनके आश्रितों, आपातकाल पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों** के लिये मासिक पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की।

- नई पेंशन दरें **1 जुलाई, 2024 से लागू होंगी।**

मुख्य बिंदु

- स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन **25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए** कर दी गई है
- आपातकाल के पीड़ितों और **मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाकर 20,000 रुपए** कर दी गई है।
- मुख्यमंत्री ने **देश की आज़ादी हेतु दिये गए अनगिनत बलिदानों के लिये स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया** और संविधान **की भावना को बनाए रखने** तथा लोकतंत्र को बहाल करने के लिये आपातकाल के दौरान लड़ने वाले 'सत्याग्रहियों' को भी श्रद्धांजलि दी।

मातृभाषा सत्याग्रही

- **वर्ष 1957 में तत्कालीन पंजाब के हिंदी भाषी इलाकों से कई लोगों ने अपनी मातृभाषा के सम्मान, प्रचार और कार्यान्वयन हेतु एक अभियान शुरू किया।** उन्हें '**मातृभाषा सत्याग्रही**' के नाम से जाना जाता है।

नोट :

राष्ट्रीय आपातकाल

- राष्ट्रीय आपातकाल **25 जून, 1975 को अनुच्छेद 352** के अंतर्गत '**आंतरिक अशांति**' के आधार पर लागू किया गया था और **21 मार्च, 1977 को इसे वापस लिये जाने तक 21 महीने तक लागू रहा था।** यह घोषणा **राष्ट्रीय सुरक्षा एवं खराब आर्थिक स्थिति** के विषय में चिंताओं से प्रेरित थी।
  - इस आदेश ने केंद्र सरकार को नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने वाले आदेश पारित करने का अधिकार दिया
  - **राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय पहले से ही बाह्य आपातकाल लागू था।**

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (SSSY)

- यह योजना राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के सम्मान के प्रतीक के रूप में **स्वतंत्रता सेनानियों को मासिक सम्मान पेंशन** प्रदान करती है।
- उनकी मृत्यु पर पात्र **आश्रितों अर्थात् पति या पत्नी तथा अविवाहित एवं बेरोज़गार बेटियों और आश्रित माता-पिता** को निर्धारित पात्रता मानदंडों व प्रक्रिया के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है।
- इसे **गृह मंत्रालय (स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग)** द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- इस योजना के तहत **देश भर में 23,566 लाभार्थी** शामिल हैं।

नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के मुख्य सचिव ने घोषणा की कि **1 जुलाई, 2024 को राज्य के सभी 378 पुलिस थानों और जेलों** में **जागरूकता अभियान** चलाए जाएंगे।

- इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जनता को तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे में सूचित करना है: **भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023।**

मुख्य बिंदु

- मुख्य सचिव ने इन कानूनों के सफल कार्यान्वयन के लिये उठाए गए कदमों पर ज़ोर दिया।
  - जाँच अधिकारियों (IO) सहित लगभग 40,000 पुलिस कर्मियों ने **विभिन्न राज्य प्रशिक्षण केंद्रों** में प्रशिक्षण लिया है।
  - **हरियाणा के 300 न्यायिक अधिकारियों** को चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी में **अद्यतन आपराधिक कानूनों** पर प्रशिक्षित किया गया है।
  - **हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (HIPA),** गुरुग्राम द्वारा **IAS** और **HCS अधिकारियों** के लिये एक **ऑनलाइन प्रशिक्षण** पहल आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य अधिकारियों को नए कानून के विवरण से परिचित कराना था।
- राज्य की प्रत्येक जेल में **पर्याप्त तकनीकी उपकरण उपलब्ध हैं,** जिनमें लगभग 300 कंप्यूटर भी शामिल हैं।
  - वर्चुअल न्यायालय सुनवाई की सुविधा के लिये जेलों और न्यायालय भवनों में 149 **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्थाएँ** स्थापित की गई हैं तथा 178 अतिरिक्त प्रणालियाँ अधिग्रहित की जाएंगी।
  - राज्य के सभी जेल अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि **वे कैदियों, उनके परिवारों, आगंतुकों और जेल कर्मियों के लिये नए आपराधिक कानूनों** के बारे में लक्षित जागरूकता अभियान शुरू करें।
  - क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के बीच वितरण के लिये **इन कानूनों के अंतर्गत नवीनतम धाराओं और प्रक्रियाओं को दर्शाने वाली उपयोगी पुस्तिकाएँ तैयार की गई हैं।**

नोट :

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023

BNS 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित किया, जिसमें 358 धाराओं (IPC की 511) को शामिल किया गया, IPC के अधिकांश प्रावधानों को बनाए रखा गया, नए अपराधों को पेश किया गया, न्यायालय द्वारा बाधित अपराधों को समाप्त किया गया और विभिन्न अपराधों के लिये दंड को बढ़ाया गया।

शामिल नवीन अपराध

- **विवाह का वादा:** विवाह करने के "झूठे/मिथक" वादे को अपराध घोषित करना
- **मॉब लिंचिंग:** मॉब लिंचिंग और हेट-क्राइम के कारण होने वाली हत्याओं से जुड़े अपराधों को संहिताबद्ध करना
- सामान्य आपराधिक कानून अब **संगठित अपराध** और **आतंकवाद** को कवर करता है, जिसमें UAPA की तुलना में BNS में आतंक का वित्तपोषण करना शामिल है।
- **आत्महत्या का प्रयास:** किसी भी लोक सेवक को आधिकारिक कर्त्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या मजबूर करने के आशय से आत्महत्या करने के प्रयास को अपराध माना गया है।
- **सामुदायिक सेवा:** इसमें चिकित्सा सेवा/सामुदायिक सेवा को सज़ा के रूप में जोड़ा गया है।

विलोपन

- **अप्राकृतिक यौन अपराध:** IPC की धारा 377, जो अन्य "अप्राकृतिक" यौन गतिविधियों के बीच समलैंगिकता को अपराध मानती थी, पूरी तरह से निरस्त कर दी गई
- **व्यभिचार:** शीर्ष न्यायालय के फैसले के अनुरुप व्यभिचार का अपराध हटा दिया गया
- **ठग:** IPC की धारा 310 पूर्ण रुप से हटा दी गई
- **लैंगिक तटस्थता:** बच्चों से संबंधित कुछ कानूनों को लैंगिक तटस्थता लाने के लिये संशोधित किया गया है

Drishti IAS

अन्य संशोधन

- **फेक न्यूज़:** झूठी और भ्रामक जानकारी प्रकाशित करना अपराध है
- **राजद्रोह:** व्यापक परिभाषा देते हुए नए नाम 'देशद्रोह' के साथ पेश किया गया
- **अनिवार्य न्यूनतम सजा:** कई प्रावधानों में अनिवार्य न्यूनतम सजा निर्धारित की गई है, जो न्यायिक विवेक के दायरे को सीमित करती है
- **सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान:** श्रेणीबद्ध जुर्माना लगाना (यानी क्षति की मात्रा के अनुरुप जुर्माना)
- **लापरवाही से मौत:** लापरवाही से मौत की सजा को दो वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दिया गया (डॉक्टरों के लिये - 2 वर्ष की कैद)

प्रमुख मुद्दे

- **आपराधिक उत्तरदायित्व आयु विसंगति:** आपराधिक उत्तरदायित्व की आयु सात वर्ष बनी हुई है, आरोपी की परिपक्वता के आधार परइसे 12 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अनुशंसाओं के अनुरुप नहीं है।
- **बाल अपराध परिभाषाओं में विसंगतियाँ:** BNS2 एक बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रुप में परिभाषित करता है। बच्चों के विरुद्ध कई अपराधों के लिये आयु सीमा भिन्न होती है, जिससे असंगतता की स्थिति उत्पन्न होती है।
- **बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर IPC प्रावधानों को बरकरार रखना:** BNS2 ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर IPC के प्रावधानों को बरकरार रखा है। यह न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013) की सिफारिशों पर विचार नहीं करता है जैसे कि बलात्कार के अपराध को लैंगिक तटस्थ बनाना और वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में शामिल करना।

नोट :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023

BNSS ने CrPC 1973 को प्रतिस्थापित किया है और इसमें 531 धाराएँ हैं जिनमें 177 धाराएँ संशोधित की गई, 9 नई धाराएँ जोड़ी गई और 14 धाराएँ निरस्त की गई हैं।

मुख्य प्रावधान

- **न्यायालयों का पदानुक्रम:** मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेटों की विशिष्टता और भूमिका को समाप्त कर दिया गया
- **इलेक्ट्रॉनिक मोड का अनिवार्य उपयोग:** जाँच, पूछताछ और परीक्षण के चरणों में
- **विचाराधीन कैदियों की हिरासत:** गंभीर अपराधों के आरोपियों के लिये व्यक्तिगत ज़मानत पर रिहाई को प्रतिबंधित कर दिया है।
- **गिरफ्तारी का विकल्प:** किसी आरोपी को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है; इसके बजाय यदि आरोपी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने में विफल रहते हैं, तो पुलिस सुरक्षा जमानत की मांग कर सकती है।
- **सामुदायिक सेवा की परिभाषा:** 'वह कार्य जिसे अदालत किसी दोषी को सजा के रूप में करने का आदेश दे सकती है, जिससे समुदाय को लाभ होता है, उसके लिये वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।'
- **शब्दावली का प्रतिस्थापन:** अधिकांश प्रावधानों में "मानसिक बीमारी" का स्थान "विकृत चित्त" ने ले लिया है
- **दस्तावेज़ीकरण प्रोटोकॉल:** वारंट के साथ/बिना तलाशी के लिये अनिवार्य ऑडियो-वीडियो दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें रिकॉर्ड की गई सामग्री तुरंत मजिस्ट्रेट को सौंपी जाती है
- **प्रक्रियाओं के लिये समयसीमा:** विभिन्न प्रक्रियाओं के लिये समयसीमा निर्धारित करता है
  - जैसे बहस के बाद 30 दिनों के भीतर फैसला जारी करना
- **चिकित्सा परीक्षण:** कुछ मामलों में किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा अनुरोध किया जा सकता है
- **नमूना संग्रह:** मजिस्ट्रेट नमूना हस्ताक्षरों या लिखावट (specimen signatures) आदेशों से आगे बढ़कर, उन व्यक्तियों से भी, जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनकी उंगली के निशान और आवाज़ के नमूने एकत्र करने की शक्ति प्रदान करता है।
- **फोरेंसिक जांच:** ≥ 7 वर्ष की कैद वाले दंडनीय अपराधों के लिये अनिवार्य
- **FIR पंजीकरण के संबंध में नई प्रक्रियाएँ:**
  - ज़ीरो FIR दर्ज करने के बाद, संबंधित पुलिस स्टेशन को इसे आगे की जाँच के लिये क्षेत्राधिकार के अनुसार उपयुक्त स्टेशन में स्थानांतरित करना होगा
  - FIR इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जा सकती है और जानकारी आधिकारिक तौर पर 3 दिनों के भीतर व्यक्ति के हस्ताक्षर पर दर्ज की जाएगी
- **पीड़ित/सूचनाकर्त्ता के अधिकार**
  - पुलिस को आरोप पत्र दाखिल करने के बाद पीड़ित को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे।
  - राज्य सरकार द्वारा गवाह सुरक्षा योजना निर्धारित की जाएगी

प्रमुख मुद्दे

- शुरुआती 40 या 60 दिनों के भीतर 15 दिनों की पुलिस हिरासत की अनुमति दी गई है
- यह पुलिस हिरासत की मांग करते समय जाँच अधिकारी को कारण बताने का आदेश नहीं देती है
- उच्चतम न्यायालय के फैसलों और NHRC दिशानिर्देशों के विपरीत, गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी के उपयोग की अनुमति देती है
- एकाधिक आरोपों के मामले में अनिवार्य जमानत का दायरा सीमित है
- भारत में प्ली बार्गेनिंग को सेंटेंस बार्गेनिंग तक सीमित करता है
- संपत्ति जब्त करने की शक्ति का विस्तार चल संपत्ति के अलावा अचल संपत्ति तक भी किया गया है
- कई प्रावधान मौजूदा कानूनों से मेल खाते हैं
- BNSS2 सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से संबंधित CrPC प्रावधानों को बरकरार रखता है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या परीक्षण प्रक्रियाओं और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को एक ही कानून के तहत विनियमित किया जाना चाहिये या अलग से संबोधित किया जाना चाहिये।

Drishti IAS

नोट :

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्लॉट आवंटन पत्र वितरित किये

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **हरियाणा के मुख्यमंत्री** नायब सिंह सैनी ने **राज्य आवास योजना** के लाभार्थियों को **भूखंड आवंटन प्रमाण-पत्र वितरित किये।**

मुख्य बिंदु:

- हरियाणा सरकार ने प्रत्येक गरीब व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप गरीब परिवारों की आवास आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु **मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना** शुरू की है।
  - राज्य योजना के तहत **15,250 लाभार्थियों को भूखंड आवंटन प्रमाण-पत्र दिये गए**
  - रोहतक में **महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय** में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को भूखंड आवंटन-पत्र सौंपे
  - आवंटन-पत्र वितरित करने के लिये इसी प्रकार के कार्यक्रम चार अन्य स्थानों **यमुनानगर, पलवल, सिरसा और महेंद्रगढ़** में भी एक साथ आयोजित किये गए।
- राज्य सरकार ने हाल ही में **हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना** के तहत **एक लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को कार्ड भी वितरित किये थे।**
  - लगभग 84 लाख सदस्यों वाले लगभग 23 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जिसके तहत राज्य परिवहन में एक वर्ष के भीतर **1,000 किलोमीटर** की मुफ्त बस यात्रा प्रदान की जाती है।

हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना

- **वर्ष 2023 में** शुरू की जाने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के **कमज़ोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को कम दरों पर मकान उपलब्ध कराना है।**
- इस योजना के तहत **उन लोगों को भूखंड आवंटित किये जाएंगे जिनके पास घर बनाने के लिये ज़मीन नहीं है।**
- इससे राज्य के **गरीब परिवारों का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा** तथा उन्हें सुरक्षित व स्थिर जीवन जीने का मौका मिलेगा।

✦ ✦ ✦ ✦

नोट :